

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

-: संशोधित आदेश :-

क्र.- ८/एक-11-1/97/(S.W.)

जबलपुर दिनांक—२६ फरवरी 2023

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पत्र क्र. डी/953 दिनांक 21 फरवरी 2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 9322/2022 (गौहर मोह. वि० राज्य व अन्य) में दिये गये निर्देशों के पालन में (मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित कार्य) सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो दिनांक 03 जनवरी 2023 को जारी किया गया है उसमें आंशिक संशोधन किया जाता है एवं आरक्षी केन्द्र के अनुसार एम.ए.सी.सी. प्रकरण निम्नानुसार न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जावेगें। जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 04 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (तृतीय), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :—
02. आरक्षी केन्द्र बरगी से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
02. सरल क्र. 05 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (चतुर्थ), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-03 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
03. आरक्षी केन्द्र सिविल लाईन, कोतवाली, बेलबाग, संजीवनी नगर, हनुमानताल एवं केंट से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
03. सरल क्र. 06 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (पंचम), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-04 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
04. आरक्षी केन्द्र गढ़ा एवं मदनमहल से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
04. सरल क्र. 09 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (नवम), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-03 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
03. जिला बालाघाट जिले से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
05. सरल क्र. 10 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (दशम), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-03 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
03. आरक्षी केन्द्र माढोताल से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।

06. सरल क्र. 12 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (द्वादश), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –
 02. आरक्षी केन्द्र लार्डगंज से उद्भूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
07. सरल क्र. 13 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (त्रयोदश), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 के पश्चात् निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –
 03. आरक्षी केन्द्र गोरखपुर, ग्वारीघाट तथा सिवनी जिले से उद्भूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
08. सरल क्र. 14 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (चौदहवा), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 के पश्चात् निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –
 03. आरक्षी केन्द्र ओमती एवं गोहलपुर से उद्भूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
09. सरल क्र. 15 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (पन्द्रहवा), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-04 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –
 04. जिला कटनी, रीवा एवं सतना जिले से उद्भूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
10. सरल क्र. 16 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (सोलहवा), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –
 02. जिला नरसिंहपुर, डिण्डौरी एवं मण्डला जिले से उद्भूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
11. सरल क्र. 19 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (उन्नीसवा), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-03 के पश्चात् निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –
 04. म.प्र. के शेष समस्त जिले, अन्य राज्यों एवं ऐसे अन्य आरक्षी केन्द्र जो कार्य विभाजन पत्र में शामिल नहीं किये गये हैं से उद्भूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
12. सरल क्र. 20 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (बीसवा), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-03 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –
 03. आरक्षी केन्द्र पनागर से उद्भूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
13. सरल क्र. 21 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (इक्कीसवा), जबलपुर के कॉलम नं० 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-02 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –

02. आरक्षी केन्द्र भेड़ाघाट एवं तिलवारा से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
14. सरल क्र. 22 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (बाईसवां), जबलपुर के कॉलम नं० ०४ में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-०३ विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है –
03. आरक्षी केन्द्र कुण्डम से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
15. सरल क्र. 23 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (तेझीसवां), जबलपुर के कॉलम नं० ०४ में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-०५ विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–
05. आरक्षी केन्द्र राङझी एवं खमरिया से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
16. सरल क्र. 24 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (चौबीसवां), जबलपुर के कॉलम नं० ०४ में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-०४ विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–
04. आरक्षी केन्द्र अधारताल से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
17. सरल क्र. 25 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (पच्चीसवां), जबलपुर के कॉलम नं० ०४ में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-०१ के पश्चात निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–
04. जिला सागर से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
18. सरल क्र. 26 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (छब्बीसवां), जबलपुर के कॉलम नं० ०४ में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-०४ विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–
04. आरक्षी केन्द्र विजय नगर, गोराबाजार, घमापुर तथा छिंदवाड़ा जिले से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
19. सरल क्र. 27 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (अठाईसवां), जबलपुर के कॉलम नं० ०४ में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-०३ विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–
03. आरक्षी केन्द्र बरेला से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
20. सरल क्र. 30 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (द्वितीय), सिहोरा के कॉलम नं० ०४ में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-०४ विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–
04. आरक्षी केन्द्र सिहोरा, खितौला, मझगवां एवं तहसील सिहोरा के अन्य आरक्षी केन्द्र (गोसलपुर एवं मंझौली को छोड़कर) से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।

21. सरल क्र. 31 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश (तृतीय), सिहोरा के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक क्र. 3 एवं 9 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
03. आरक्षी केन्द्र गोसलपुर एवं मंझौली से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
22. सरल क्र. 32 में दर्शित न्यायालय जिला न्यायाधीश, पाटन के कॉलम नं0 04 में दर्शित सिविल विषयक क्रमांक-04 विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
04. आरक्षी केन्द्र पाटन, बेलखेडा, कंटगी, चरगांव, शहपुरा एवं तहसील पाटन से संबंधित अन्य आरक्षी केन्द्र से उदभूत होने वाले मृत्यु एवं क्षति संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जबलपुर

पृष्ठा क्र. 1046 एक-11-1 / 97 / (S.W.)

जबलपुर दिनांक 28 फरवरी 2023

- 01— रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
- 02— प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
- 03— जबलपुर
- 04— फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर को इस निर्देश के प्रेषित की सी.आई.एस. में संबंधित मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण दर्ज करते समय आरक्षी केन्द्र का इंद्राज अवश्यक रूप से करें।
- 05— सचिव, जिला अधिवक्ता एवं तहसील अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

जबलपुर